

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती केसी

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री भेरूलाल

पत्रावली संख्या : 07/22

जीसीएमएस : 2022/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	पुस्तक संख्या
	<p>दिनांक : 05.09.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। खातेदार नहीं होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढ़ने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमंबाजी भी बढ़ेगी तथा इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 363 किता 1 रकबा 0.5747 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

